FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का झाड़ली

किस्म मुकदमा – प्राoपत्र प्रचलित रास्ता अधा 131, 132 एल आर एक्ट   मुकदमा नम्बर 21/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
24.12.2025	राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में दिनांक 24 जून 2025 से 09 जुलाई 2025 तक "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा" का आयोजन किया गया था। जिसके अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबधित संपादित किये जाने वाले कुल 10 गतिविधियों / कार्यो में से कमांक 6 पर "रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण" का कार्य श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र पत्रांक प0 04(3) राज–5 / सम / 2024 जयपुर दिनांक 18.06.2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में विभिन्न ग्राम पंचायतों में खातेदारी कृषि भूमियों में कदीमी रूप से चले आ रहे प्रचलित रास्ते (जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रहे है) को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता के रूप में दर्ज कराने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा सम्बन्धित ग्राम पचांयतों से प्रस्ताव लिये जाकर शिविर के दौरान मौके पर प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तैयार करवाये गये थे। जिनको तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र कमांक 2661 / भू.अ. / 2025 दिनांक 29.09.2025 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम झाड़ली पटवार हल्का झाड़ली के कृषि भूमि खसरा नम्बर 3200, 3202, 3203, 3182, 3180, 3178 मे से जा रहे प्रचलित रास्ता ढाणी सुबेदार – रूपपुरा रोड़ से कैलाश गूर्जर के घर तक जाने वाला प्रचलित कच्चा रास्ता जो मौके पर चालू है। उक्त प्रचलित रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, फर्द मौका रिपोर्ट जिस पर कुछ खातेदारान् के सहमति बतौर हस्ताक्षरित संबंधित खातेदारान् में [illegible] फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का झाड़ली संलग्न है। जिसे तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया हैं। [illegible]विधि प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से प्रकरण को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:27:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

इसी परिपेक्ष्य में पूर्व में श्रीमान् सयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के द्वारा भी गांवो मे कदीमी रूप से चालू होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चले आ रहे प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज किये जाने तथा रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में सम्बन्धित खातेदारान् के ही नाम जमाबन्दी में रखे जाने बाबत राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। उक्त जारी परिपत्र की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रचलित रास्ते के प्रस्ताव व प्रस्ताव के संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रस्तावित प्रचलित रास्ते के मौके पर कदीमी रूप से चालू होकर सार्वजनिक रूप से काम में आने, प्रस्तावित प्रचलित रास्ता ढ़ाणी सुबेदार – रूपपुरा रोड़ से कैलाश गूर्जर के घर तक जाने वाला प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होकर रास्ते के सार्वजनिक आवागमन के उपयोग में आने से एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अनुशंषा के मध्यनजर प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एंव 86 के प्रावधानों के तहत भिजवाये गये प्रस्ताव को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निम्नानुसार दिये जाते है :–

राजस्व ग्राम झाड़ली पटवार मण्डल झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 3200 रकबा 0.37 हैक्टर में से 0.0[illegible] हैक्टर, 3203 रकबा [illegible] हैक्टर में से 0.0368 हैक्टर, 3202 रकबा 0.37 हैक्टर में से 0.0[illegible] हैक्टर, 3182 रकबा 1.34 हैक्टर में से 0.001[illegible] हैक्टर, 3180 रकबा 0.69 हैक्टर में से 0.0384 हैक्टर, 3178 रकबा 0.99 हैक्टर में से [illegible]500 हैक्टर भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित / दर्ज खातेदारी कृषि भूमि में से तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:27:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
	तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एंव संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि उक्त खसरा नम्बरान् की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जावें एंव नक्शें में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खातें ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस इस आदेश के भाग रहेगें। उक्त प्रचलित रास्ता में अंकित खसरा नम्बरान् पर यदि किसी अपीलीय/अपर /सिविल/राजस्व मण्डल इत्यादि किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो राजस्व रिकार्ड में पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:27:36 IST
Reason: SelfAttested